दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश

18.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प डीगोद खोलिया पर आज पेश हुई प्रार्थी/गण तर्फ उप. तहसीलदार छीपाबड़ौद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो आ. कि. ही प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम काश्तकार	ख.नं.	रकबा
1. पंकज, दीपक कुमार, मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ हेकमचन्द जाति धाकड़ नि. डीगोदखोलिया	567	6.07
	791/368	2.01
	किता 2	8.08
2. महेन्द्र कुमार उर्फ हेकमचन्द पुत्र हरिशंकर जाति धाकड़ नि. डेह	369	3.09

अतः उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को लिखा जाता है। आदेशित किया जाता है कि तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फरीक महेन्द्र कुमार हेकम बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 36/17	धारा अंतर्गत 88,53 RTA	निर्णय दिनांक 18.5.17
समक्ष - हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. पंकज
2. दीपक कुमार
3. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ ऐकान्त जाति धाकड़ निवासी डोंगरी खालसा तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ ऐकान्त पुत्र हरिशंकर जाति धाकड़ निवासी डोंगरी खालसा तह. छीपाबड़ौद
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित कृषि भूमि ग्राम डोंगरी खालसा का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	खसरा	रकबा
1. पंकज, दीपक कुमार, मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ ऐकान्त धाकड़ नि. डोंगरी खालसा	567	6.07
	791/368	2.01
	किता 2	8.08
2. महेन्द्र कुमार उर्फ ऐकान्त पुत्र हरिशंकर जाति धाकड़ नि. उक्त	369	3.09

उपरोक्तानुसार विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जावे।

साथ ही नियमानुसार........................रू0 का व्यायानुतोष........................द्वारा........................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.5.17 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 36/17 दावा
दायरा दिनांक :– 22.03.2017
निर्णय दिनांक :– 26.04.2017

उनवान

1. पंकज
2. दीपककुमार
3. मनोजकुमार पुत्र महेन्द्रकुमार उर्फ टेकमचन्द जाति धाकड निवासीगण दीगोदखालसा तहसील छीपाबडौद

बनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ टेकमचन्द पुत्र हरिशंकर जाति धाकड निवासी दीगोद खालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबडौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री गोपीबल्लभ शर्मा वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम दीगोद खालसा तहसील छीपाबडौद जिल बारां राजस्थान मे स्थित भूमि खाता संख्या 138 की खसरा नंबर 369 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खस नंबर 567 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 791/368 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 3 कु रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा स्थित है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्र है, प्रतिवादी संख्या–1 दो नामो महेन्द्रकुमार एवं टेकमचन्द दोनो नामो से जाना जाता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड टेकमचन्द पुत्र हरिशंकर के नाम से दर्ज जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 चला आ रहा है। उ वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के समय से प्रतिवादी संख्या 1 टेकचन्द महेन्द्र कुमार के खातेदारी मे चली आ रही है, वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सम्पत्तियॉ है, जिनमें वादीगण का जन्म से ही का अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैत्रक सम्पत्तियां है, वादीगण वादीगण कोपरसेन्स वादीगण को इन वादग्रस्त भूमियों मे जनम से ही कानूनन अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ने हम वादीगण को खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा 791/368 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा का विभाजन करके हम वादीगण को दे रखी है, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के कानूनन अधि है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादीगण को उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का आधुनिक तरीके से विकास एवं सुधार करने, बैक से कृषि ऋण लेने एवं विद्युत कनेक्शन लेने के बारे मे हमेशा विवाद बना रहता है, अतः वादीगण वादपत्र की मद् नम्बर 5 मे वर्णित भूमियों का कानूनन विभाजन कराकर उक्त भूमियों को अपने खातेदारी मे अलग से दर्ज कराना चाहते है, जिसमे वादीगण काननून अधिकारी है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमियो का विभाजन कराने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया, परन्तु उन्होने इस ओर कोई ध्यान नही दिया तथा अन्तिम बार दिनाक 24.07.2017 को प्रतिवादीगण से कहने एवं उनके द्वारा मना करने तथा वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने को कहा। वाद कारण दिनांक 24.01.2017 को अन्तिम बार प्रतिवादीगण से बटवारे एवं खाते विभाजन की कहने पर व उनके द्वारा खाता विभाजन करने से मना करने आराजीको बैंक में रहन रखने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी गण की ओर से इकबाली जबाव दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थ में नकल जमावन्दी ग्राम दीगोद खालसा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 138 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पंकज का शपथ पत्र किया। प्रतिवादी महेन्द्र कुमार द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफ सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि ग्राम दीगोद खाल तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित भूमि खाता संख्या 138 की खसरा नंबर 369 रकबा 3 बीघा 09 बिस खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 791/368 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा कुल कि 3 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा स्थित है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्र है, प्रतिव संख्या–1 को दो नामो महेन्द्रकुमार एवं टेकमचन्द दोनो नामो से जाना जाता है, जिनका नाम राज रिकार्ड मे टेकमचन्द पुत्र हरिशंकर के नाम से दर्ज जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 चला आ रहा उक्त वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के समय से प्रतिवादी संख्या 1 टेक उर्फ महेन्द्र कुमार के खातेदारी मे चली आ रही है, वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सम्पत्तियॉ है, जिनमें वादीगण का जन्म से ही व अधिकार प्राप्त है। वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के पिता का नाम महेन्द्र हैं जो राजस्व रिकार्ड में टेकचन्द दर्ज हैं वादी अपने पिता का नाम दुरूस्त कराने का अधिकारी हैं

बहस अभिभाषक वादी एक तरफ सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोदखालसा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 138 के अनुसार टेकच हरीशंकर जाति धाकड निवासी सा. देह दर्ज होना पाया गया जाता हैं। विवादित आराजी कुल रकवा 11.17 बीघा दर्ज हैं जिसमें वादी अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है। प्रतिवादी कम कुमार उर्फ टेकचन्द पुत्र हरिशंकर जाति धाकड निवासी दीगोदखालसा द्वारा शपथ पत्र प्र बताया कि मेंरे तीन पुत्र है दीपक कुमार, पंकज, मनोज कुमार है। तीन पुत्रों के अलावा और प पुत्र व पुत्री नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादी गण द्वारा इकबाली जबाव दावा पेश कर निवेदन कि वादीगण का वादी डिकी किये जाने में प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। इससे यह स

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

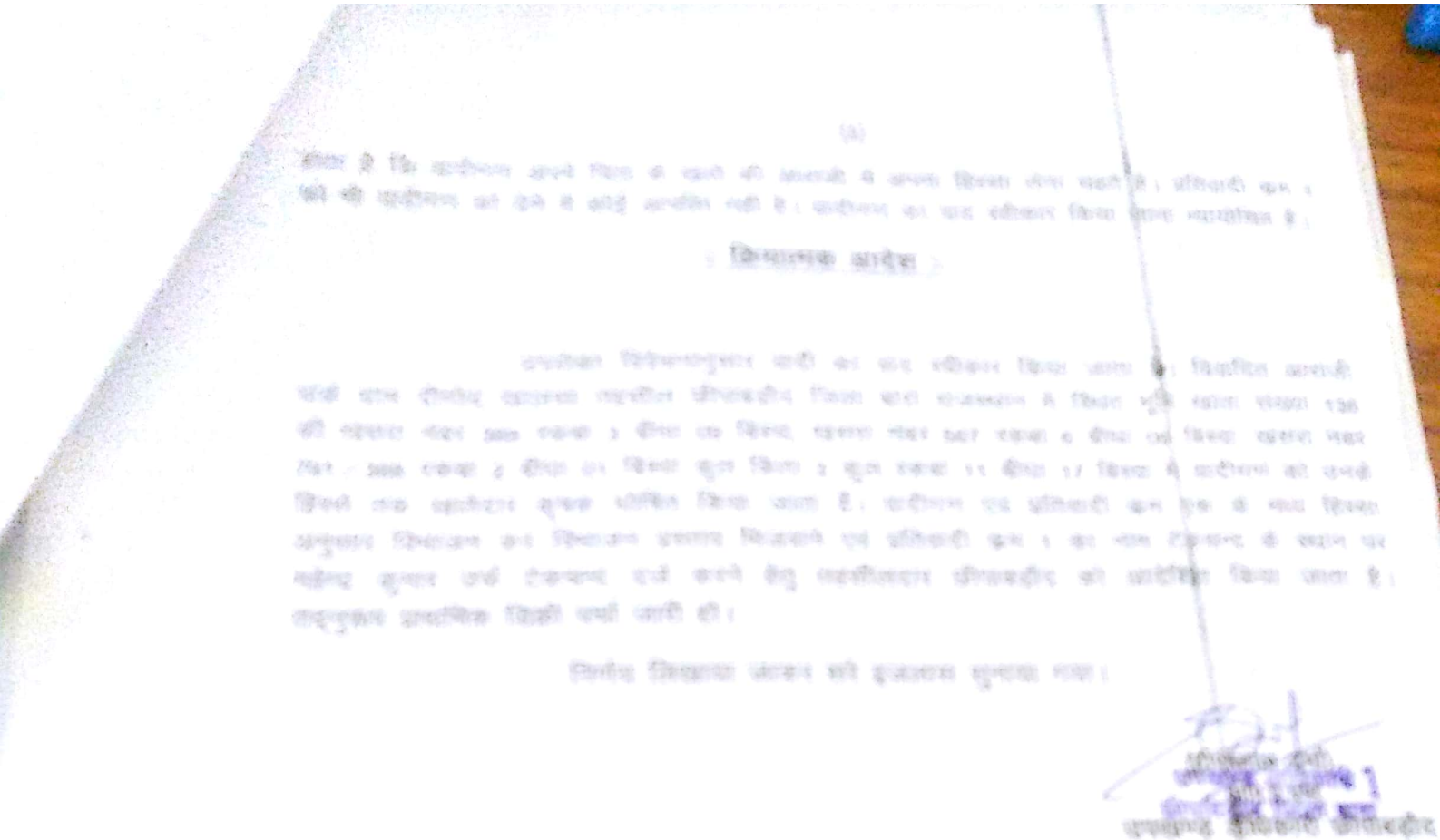

होता है कि वादीगण अपने पिता के खाते की आराजी में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। प्रतिवादी क्रम 1 को भी वादीगण को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी मौजे ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान में स्थित भूमि खाता संख्या 138 की खसरा नंबर 388 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 587 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 797/388 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण को उनके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम एक के मध्य हिस्सा अनुसार विभाजन का विभाजन प्रस्ताव बिठाकर एवं प्रतिवादी क्रम 1 का नाम [illegible] के स्थान पर महेन्द्र कुमार उर्फ [illegible] दर्ज करने हेतु तहसीलदार [illegible] को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

निर्णय लिखवाया जाकर को इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 36/2017	धारा अन्तर्गत 53,88, RTA	निर्णय दिनाक 26.04.2017
समक्ष श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी:– श्री गोपीवल्लभ शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. पंकज
2. दीपककुमार
3. मनोजकुमार पुत्र महेन्द्रकुमार उर्फ टेकमचन्द जाति धाकड निवासीगण दीगोदखालसा तहसील

बनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ टेकमचन्द पुत्र हरिशंकर जाति धाकड निवासी दीगोद खालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम दीगोद खालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे स्थित भूमि खाता संख्या 138 की खसरा नंबर 369 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 567 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 791/368 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा मे वादीगण को उनके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी कम एक के मध्य हिस्सा अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने एवं प्रतिवादी कम 1 का नाम टेकचन्द के स्थान पर महेन्द्र कुमार उर्फ टेकचन्द दर्ज करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26-4-17 .... को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

है वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एव प्रतिवादी संख्या–1 ...
... है जिनमें वादीगण का जन्म से ही कानूनी अधिकार

Scanned by CamScanner